

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—समस्तीपुर सेंट्रल सुगर फैक्ट्री लेबर यूनियन, समस्तीपुर निबंधन संख्या—105/23.11.1946 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4902 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325872850IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1551 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम— समस्तीपुर सेंट्रल सुगर फैक्ट्री लेबर यूनियन, समस्तीपुर निबंधन संख्या—105/23.11.1946 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3879 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव— समस्तीपुर सेंट्रल सुगर फैक्ट्री लेबर यूनियन, समस्तीपुर निबंधन संख्या—105/23.11.1946 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3879 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-जी.डी. सुगर मिल वर्कर्स यूनियन, बगहा, चम्पारण निबंधन संख्या-114/04.02.1947 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग क वेबसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4903 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325872979IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1552 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-जी.डी. सुगर मिल वर्कर्स यूनियन, बगहा, चम्पारण निबंधन संख्या-114/04.02.1947 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3880 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-जी.डी. सुगर मिल वर्कर्स यूनियन, बगहा, चम्पारण निबंधन संख्या-114/04.02.1947 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3880 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—रोहतास क्वेरीज मजदूर संघ, पो0—रोहतास, साहाबाद निबंधन संख्या—135/29.03.1947 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4904 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ, के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325873095IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1553 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के पमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।


उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—रोहतास क्वेरीज मजदूर संघ, पो0—रोहतास, साहाबाद निबंधन संख्या—135/29.03.1947 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3881 पटना, दिनांक—11.06.2018


प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—रोहतास क्वेरीज मजदूर संघ, पो0—रोहतास, साहाबाद निबंधन संख्या—135/29.03.1947 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3881 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—आरा स्कैनजर्स यूनियन, साहाबाद, सोशलिस्ट पार्टी, महादेवा रोड, आरा निबंधन संख्या—155/27.06.1947 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4906 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF32587310IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1555 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—आरा स्कैनजर्स यूनियन, साहाबाद, सोशलिस्ट पार्टी, महादेवा रोड, आरा निबंधन संख्या—155/27.06.1947 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3882 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—आरा स्कैनजर्स यूनियन, साहाबाद, सोशलिस्ट पार्टी, महादेवा रोड, आरा निबंधन संख्या—155/27.06.1947 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3882 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-बिहार प्रोविंसियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन, बी.एम.दास रोड, बांकीपुर, पटना निबंधन संख्या-183/14.09.1947 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित पत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4908 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325872982IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1556 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।


उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-बिहार प्रोविंसियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन, बी.एम.दास रोड, बांकीपुर, पटना निबंधन संख्या-183/14.09.1947 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3883 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-बिहार प्रोविंसियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन, बी.एम.दास रोड, बांकीपुर, पटना निबंधन संख्या-183/14.09.1947 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3883 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-न्यू स्वादेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, चम्पारण निबंधन संख्या-198/15.11.1947 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4912 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325872996IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1558 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।


उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-न्यू स्वादेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, चम्पारण निबंधन संख्या-198/15.11.1947 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्रंसं-3884 पटना, दिनांक-11.06.2018


प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-न्यू स्वादेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, चम्पारण निबंधन संख्या-198/15.11.1947 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्रंसं-3884 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—रियम सुगर फ़ैक्ट्री लेबर यूनियन, पो०—रियम, दरभंगा निबंधन संख्या—212/27.11.1947 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4914 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325872877IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1560 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी०) में पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—रियम सुगर फ़ैक्ट्री लेबर यूनियन, पो०—रियम, दरभंगा निबंधन संख्या—212/27.11.1947 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3885 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—रियम सुगर फ़ैक्ट्री लेबर यूनियन, पो०—रियम, दरभंगा निबंधन संख्या—212/27.11.1947 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3885 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-मजदूर संघ एस.के.जी. सुगर मिल, पो0-लौरिया, चम्पारण निबंधन संख्या-225/10.01.1948 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4916 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325872885IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1562 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।


चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-मजदूर संघ एस.के.जी. सुगर मिल, पो0-लौरिया, चम्पारण निबंधन संख्या-225/10.01.1948 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)
निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।


स्पीड पोस्ट ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3886 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-मजदूर संघ एस.के.जी. सुगर मिल, पो0-लौरिया, चम्पारण निबंधन संख्या-225/10.01.1948 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)
निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3886 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)
निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-हरिनगर सुगर मिल्स वर्कर्स यूनियन, पो0-हरिनगर, चम्पारण निबंधन संख्या-230/10.01.1948 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4917 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325873135IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1563 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-हरिनगर सुगर मिल्स वर्कर्स यूनियन, पो0-हरिनगर, चम्पारण निबंधन संख्या-230/10.01.1948 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्रंसं-3887 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-हरिनगर सुगर मिल्स वर्कर्स यूनियन, पो0-हरिनगर, चम्पारण निबंधन संख्या-230/10.01.1948 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्रंसं-3887 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—बिहार प्रोविंसियल इनफंटियर गवर्मेंट सेर्वेंट यूनियन, लाल कोठी, पो०—मीठापुर, पटना निबंधन संख्या—231/11.01.1948 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारा पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4918 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325873149IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1564 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।


उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—बिहार प्रोविंसियल इनफंटियर गवर्मेंट सेर्वेंट यूनियन, लाल कोठी, पो०—मीठापुर, पटना निबंधन संख्या—231/11.01.1948 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3888 पटना, दिनांक—11.06.2018


प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—बिहार प्रोविंसियल इनफंटियर गवर्मेंट सेर्वेंट यूनियन, लाल कोठी, पो०—मीठापुर, पटना निबंधन संख्या—231/11.01.1948 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3888 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मेनेजर श्रम ससाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—कॉटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीच्यूट, इम्पलाईज यूनियन, गुलजारबाग, पटना निबंधन संख्या—236/11.01.1948 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के बेवसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4919 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325873152IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1565 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के बेवसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष—2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है—एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—कॉटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीच्यूट, इम्पलाईज यूनियन, गुलजारबाग, पटना निबंधन संख्या—236/11.01.1948 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

११/०६/१८

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3889 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—कॉटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीच्यूट, इम्पलाईज यूनियन, गुलजारबाग, पटना निबंधन संख्या—236/11.01.1948 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

११/०६/१८

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3889 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

११/०६/१८

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—सुगौली सुगर वर्कर्स ट्रेड यूनियन, पो0—सुगौली, चम्पारण, नार्थ बिहार निबंधन संख्या—278 / 15.05.1948 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4922 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325873166IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1566 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—सुगौली सुगर वर्कर्स ट्रेड यूनियन, पो0—सुगौली, चम्पारण, नार्थ बिहार निबंधन संख्या—278 / 15.05.1948 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।




(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3 / टी2—29 / 2017 श्र०सं०—3890 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—सुगौली सुगर वर्कर्स ट्रेड यूनियन, पो0—सुगौली, चम्पारण, नार्थ बिहार निबंधन संख्या—278 / 15.05.1948 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3 / टी2—29 / 2017 श्र०सं०—3890 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-बिहार सर्वे ऑफिस इम्प्लॉयज एसोसिएशन, गुलजारबाग, पटना निबंधन संख्या-310/18.12.1948 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4923 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325873170IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1567 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-बिहार सर्वे ऑफिस इम्प्लॉयज एसोसिएशन, गुलजारबाग, पटना निबंधन संख्या-310/18.12.1948 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3891 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-बिहार सर्वे ऑफिस इम्प्लॉयज एसोसिएशन, गुलजारबाग, पटना निबंधन संख्या-310/18.12.1948 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3891 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—बिहार को—ऑपरेटिव बैंक इम्पलाईज यूनियन, बिहार प्रोविंसियल, पटना निबंधन संख्या—317/07.01.1949 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4924 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325873183IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1568 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—बिहार को—ऑपरेटिव बैंक इम्पलाईज यूनियन, बिहार प्रोविंसियल, पटना निबंधन संख्या—317/07.01.1949 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3892 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—बिहार को—ऑपरेटिव बैंक इम्पलाईज यूनियन, बिहार प्रोविंसियल, पटना निबंधन संख्या—317/07.01.1949 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3892 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—**बटन मजदूर संघ, पो0-मेहसी, चम्पारण** निबंधन संख्या—**321/26.01.1949** द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-**4925** दिनांक-**19.09.2017** द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-**15.12.2017** तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-**EF325873197IN** के माध्यम से विभागीय पत्रांक-**1569** दिनांक-**03.04.2018** द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-**06.06.2018** तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।


उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-**बटन मजदूर संघ, पो0-मेहसी, चम्पारण** निबंधन संख्या-**321/26.01.1949** का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-**3893** पटना, दिनांक-**11.06.2018**


प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-बटन मजदूर संघ, पो0-मेहसी, चम्पारण निबंधन संख्या-**321/26.01.1949** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-**3893** पटना, दिनांक-**11.06.2018**

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—मुंगेर जिला प्रेस वर्कर्स यूनियन, तोपखाना बाजार, मुंगेर निबंधन संख्या—334/18.02.1949 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4926 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325873206IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1570 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—मुंगेर जिला प्रेस वर्कर्स यूनियन, तोपखाना बाजार, मुंगेर निबंधन संख्या—334/18.02.1949 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3894 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—मुंगेर जिला प्रेस वर्कर्स यूनियन, तोपखाना बाजार, मुंगेर निबंधन संख्या—334/18.02.1949 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3894 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि—आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—**O.T. Rly T.C. Association, समस्तीपुर** निबंधन संख्या—**353/23.04.1949** द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि:— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—**4928** दिनांक—**19.09.2017** द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—**15.12.2017** तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—**EF325873016IN** के माध्यम से विभागीय पत्रांक—**1571** दिनांक—**03.04.2018** द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—**06.06.2018** तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।


चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम— **O.T. Rly T.C. Association, समस्तीपुर** निबंधन संख्या—**353/23.04.1949** का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)
निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।


स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—**3895** पटना, दिनांक—**11.06.2018**

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव— **O.T. Rly T.C. Association, समस्तीपुर** निबंधन संख्या—**353/23.04.1949** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)
निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—**3895** पटना, दिनांक—**11.06.2018**

प्रतिलिपि:—आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)
निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—**बौलिया क्वैरीज राष्ट्रीय मजदूर सेवा संघ, रोहतास, साहाबाद** निबंधन संख्या—**356/05.05.1949** द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—**4929** दिनांक—**19.09.2017** द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—**15.12.2017** तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—**EF325873020IN** के माध्यम से विभागीय पत्रांक—**1572** दिनांक—**03.04.2018** द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—**06.06.2018** तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।


उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—**बौलिया क्वैरीज राष्ट्रीय मजदूर सेवा संघ, रोहतास, साहाबाद** निबंधन संख्या—**356/05.05.1949** का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—**3896** पटना, दिनांक—**11.06.2018**


प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—**बौलिया क्वैरीज राष्ट्रीय मजदूर सेवा संघ, रोहतास, साहाबाद** निबंधन संख्या—**356/05.05.1949** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—**3896** पटना, दिनांक—**11.06.2018**

प्रतिलिपि:—आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-सिपहा राईस एंड ऑयल मिल मजदूर पंचायत, पो0-दाउद नगर, गया निबंधन संख्या-360/07.05.1949 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4930 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325873033IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1573 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाईट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-सिपहा राईस एंड ऑयल मिल मजदूर पंचायत, पो0-दाउद नगर, गया निबंधन संख्या-360/07.05.1949 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3897 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-सिपहा राईस एंड ऑयल मिल मजदूर पंचायत, पो0-दाउद नगर, गया निबंधन संख्या-360/07.05.1949 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3897 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/06/18

(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—श्री हरि शंकर मिल मजदूर संघ, भगवान बाजार, छपरा निबंधन संख्या—361/09.05.1949 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4931 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325873081IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1574 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—श्री हरि शंकर मिल मजदूर संघ, भगवान बाजार, छपरा निबंधन संख्या—361/09.05.1949 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3898 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—श्री हरि शंकर मिल मजदूर संघ, भगवान बाजार, छपरा निबंधन संख्या—361/09.05.1949 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक— 3/टी2-29/2017 श्र०सं०—3898 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)

निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-गया लोको कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पलाईज, यूनियन, बागेश्वरी, गया निबंधन संख्या-403/02.11.1949 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4934 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325873078IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1575 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।


उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-गया लोको कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पलाईज, यूनियन, बागेश्वरी, गया निबंधन संख्या-403/02.11.1949 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3899 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-गया लोको कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पलाईज, यूनियन, बागेश्वरी, गया निबंधन संख्या-403/02.11.1949 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3899 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि-आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-कटिहार जूट मिल्स वर्कर्स यूनियन, पो0-कटिहार निबंधन संख्या-428/01.03.1950 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक केलेन्डर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4936 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325873064IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1576 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।


उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-कटिहार जूट मिल्स वर्कर्स यूनियन, पो0-कटिहार निबंधन संख्या-428/01.03.1950 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापक- 3/टी2-29/2017 श्रंसं-3900 पटना, दिनांक-11.06.2018


प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-कटिहार जूट मिल्स वर्कर्स यूनियन, पो0-कटिहार निबंधन संख्या-428/01.03.1950 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक- 3/टी2-29/2017 श्रंसं-3900 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम-वेटनरी कैटल फार्म मिनरल्स यूनियन, पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना निबंधन संख्या-431/25.03.1950 द्वारा वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष-2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा-28 में प्रावधान है कि:- (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.

उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष-2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचारों पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक-4937 दिनांक-19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या-EF325873055IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1577 दिनांक-03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए दिनांक-06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम-वेटनरी कैटल फार्म मिनरल्स यूनियन, पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना निबंधन संख्या-431/25.03.1950 का निबंधन प्रमाण-पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।




(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड पोस्ट ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3901 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-महासचिव/अध्यक्ष/सचिव-वेटनरी कैटल फार्म मिनरल्स यूनियन, पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना निबंधन संख्या-431/25.03.1950 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 3/टी2-29/2017 श्र०सं०-3901 पटना, दिनांक-11.06.2018

प्रतिलिपि:-आई० टी० मेनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गोपाल मीणा)

निबंधक-सह-श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक विवरणी उपलब्ध नहीं कराने वाले श्रमिक संघों का विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत निबंधन रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि यूनियन का नाम—दुकानदार कर्मचारी संघ, तिलक मैदान, मुजफ्फरपुर निबंधन संख्या—460/02.09.1950 द्वारा वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी (जो वर्ष—2017 में 31 जुलाई तक समर्पित किया जाना है) जमा नहीं किया गया है।

जबकि श्रमिक संघ अधिनियम की धारा—28 में प्रावधान है कि— (1) There shall be sent annually to the Registrar, on or before such date as may be prescribed, a general statement audited in the prescribed manner, of all receipts and expenditure of every registered Trade Union during the year ending on the 31st day of December next preceding such prescribed date, and of the assets and liabilities of the Trade Union existing on each 31st day of December. The statement shall be prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed.

(2) Together with the general statement there shall be sent to the Registrar a statement showing all changes of office-bearers made by the Trade Union during the year to which the general statement refers, together also with a copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of the despatch thereof to the Registrar.


उक्त के आलोक में प्रत्येक यूनियन द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 31 जुलाई तक विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी जमा किया जाना है। उपरोक्त यूनियन/संघ द्वारा श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत वर्ष—2016 का वार्षिक विवरणी जमा नहीं किया गया है।

उक्त परिस्थिति में श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी जमा नहीं करने वाले निबंधित यूनियनों/संघों से संबंधित नोटिस राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया, साथ ही श्रमिक संघ की सूची विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक—4942 दिनांक—19.09.2017 द्वारा उपरोक्त श्रमिक संघ को प्रथम नोटिस द्वारा यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—15.12.2017 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है।

पुनः स्पीड पोस्ट संख्या—EF325873047IN के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1578 दिनांक—03.04.2018 द्वारा उपरोक्त यूनियन को यह सूचना दी गयी कि निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार का अभिप्राय है की श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण—पत्र रद्द करने के लिए दिनांक—06.06.2018 तक कार्रवाई करेंगे, यदि उक्त तिथि तक इस अभिप्राय के प्रतिकूल कोई कारण नहीं दिया जाता है। ऐसे श्रमिक संघों से संबंधित नोटिस पुनः राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं श्रमिक संघों की सूची तथा उनको प्रेषित द्वितीय नोटिस विभाग के वेबसाइट WWW.labour.bih.nic.in पर भी अपलोड किया गया।


चूँकि यूनियन द्वारा वर्ष 2016 की वार्षिक विवरणी जमा नहीं की गई है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपरोक्त यूनियन अस्तित्व में नहीं है। यह श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं परिस्थितियों में निबंधक श्रमिक संघ, बिहार उक्त अधिनियम की धारा 10 (बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन का नाम—दुकानदार कर्मचारी संघ, तिलक मैदान, मुजफ्फरपुर निबंधन संख्या—460/02.09.1950 का निबंधन प्रमाण—पत्र आदेश निर्गत होने की तिथि से रद्द करते हैं।


(गोपाल मीणा)
निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।


स्पीड पोस्ट ज्ञापक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3902 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—महासचिव/अध्यक्ष/सचिव—दुकानदार कर्मचारी संघ, तिलक मैदान, मुजफ्फरपुर निबंधन संख्या—460/02.09.1950 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)
निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक— 3/टी2—29/2017 श्र०सं०—3902 पटना, दिनांक—11.06.2018

प्रतिलिपि:—आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गोपाल मीणा)
निबंधक—सह—श्रमायुक्त, बिहार।